NCRES
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 13 /NCRES/42/23 Date : 3.1.2023

श्रीमान डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषयः– कान्ट्रैक्ट बेसिस पर रिटायर्ड पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिये GeM पोर्टल की बाध्यता खत्म किया जाय।

संदर्भः– रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG) II/2005/RC-4/SC/2/Pt.I दिनांक 30.6.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 30.6.2022 के अनुसार रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ को कान्ट्रैक्ट बेसिस पर 30.6.2023 तक GeM पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने के लिये कहा है। रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र के पैरा 2 में रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के बारे में उल्लेख किया गया है।

NCRES का मानना है कि रिटायर्ड पैरा मेडिकल स्टाफ GeM पोर्टल पर सामान्यतः उपलब्ध हो ही नही सकता एवं GeM पोर्टल की कोई भी फर्म रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ का अलग–अलग वेतन का उल्लेख नही करेगा ऐसी स्थिति में रेल के रिटायर्ड अनुभवी कर्मचारी GeM पोर्टल से रेल को नही मिल पायेगें।

यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज के कई रिटायर्ड पैरा मेडिकल स्टाफ ने MD/NCR को Re-engagement हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, परन्तु रेलवे बोर्ड की GeM पोर्टल से हायर किये जाने की शर्त के कारण उन्हें नही लिया गया। यहाँ यह भी कहना महत्वपूर्ण होगा कि GeM पोर्टल पर रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नही है।

NCRES का अनुरोध है कि जिस प्रकार रेलवे की गतिशक्ति यूनिट (GSU) में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों का साक्षात्कार लेकर उनका Re-engagement किया जा रहा है, उसी प्रकार रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ का भी Re-engagement किया जाय और आवश्यक होने पर GeM पोर्टल की बाध्यता समाप्त करने के लिये उचित कार्यवाही किया जाय ताकि कोविड–19 की संभावित लहर में मरीज का उचित इलाज हो सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री